यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड-I राज्य कर, रूद्रपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड-I राज्य कर, रूद्रपुर के माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आशीष सिंह तडीयाल, ले.प. श्री एस.एस दरियाल एवं श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 08.02.2019 से 18.02.2019 तक श्री पी.के. गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सिराज हुसैन एवं श्री प्रवीण कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.01.2017 से 03.02.2017 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कोटद्वार, सतपुली, लैंसडाऊन, एमकेश्वर, आदि**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	1861.00
2016-17	2207.00
2017-18	1358.53

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)		स्थपना		गैर स्थापना (` लाख में)		आधिक्य	बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	-	-	47558000	43450366	-	-
2016-17	-	-	-	-	59825000	54558149	-	-
2017-18	-	-	-	-	73533000	70913290	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड-I राज्य कर, रूद्रपुर** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड-I राज्य कर, रूद्रपुर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - -------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: - 02/2017 एवं 10/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-1 :मिथ्या प्रमाण पत्र “सी” देने के फलस्वरूप अर्थदण्ड का अनारोपण₹ 3.89 लाख।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 10 (b) केअनुसार रजिस्ट्रीकृत व्योहारी होते हुए किसी वर्ग का माल क्रय करते समय यह मिथ्या जाहिर करेगा कि माल के ऐसे वर्ग उसकेरजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अंतर्गत है तो उक्त अधिनियम की धारा 10 (a) द्वारा शास्ति के रूप में उतनी राशि उस पर अधिरोपित की जाएगी जितनी उस कर के 1.5गुने से अधिक न हो जो उस माल पर उसको किए गए विक्रय के बावत उसदशा में उद्ग्रहीत किया जाता यदि विक्रय उस उपधारा के अंतर्गत आनेवाला विक्रय होता।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) प्रथम राज्य कररुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया किसर्वश्रीगोयल आटोमोबाइल्स टिन -05004626634 केन्द्रीय पंजीयन के अनुसार ALL KINDS OF LUBRICANT प्रपत्र सी के सापेक्ष खरीदने हेतु अधिकृत है। व्यापारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 का वाद स्वत: कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत निस्तारित किया गया था। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष 2014-15 में 31 फार्म “सी” ₹ 45,52,614/- की खरीद हेतु एवं वर्ष 2015-16 में ₹ 46,37,180/- की खरीद हेतु निर्गत किए गये थे। जो ट्रेक्टर पार्ट्स, मोटर पार्ट्स, वियरिंग हेंडटूल्स आदि से संबन्धित थे। जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है:-

वस्तुओं का नाम	**प्रपत्र “सी” की धनराशि 2014-15**	**प्रपत्र “सी” की धनराशि 2015-16**	**योग**	**कर धनराशि**
ट्रेक्टर पार्ट्स, वियरिंग हेंडटूल्स 5%	1607465	2100187	3707652	185382

उक्तानुसार व्यापारी दवारा की गयी अनाधिकृत केन्द्रीय खरीद ₹3707652/-पर देय कर ₹185382/- का डेढ़ गुना ₹ 281073/-अर्थदण्ड आरोपणीय था, जो विभाग की उदासीनता के कारण आरोपित नहीं हो सका।

(2) कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) प्रथम राज्य कर, रुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि नंजू पैकेजिंग टिन 05011228551 पंजीकृत है। व्यापार कोरगोटेड बॉक्स का निर्माण कर बिक्री का है। व्यापारी द्वारा निम्नलिखित खरीद के लिए प्रपत्र “सी” जारी किया गया था। जिसके लिए व्यापारी केंद्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार अधिकृत नहीं था:-

वस्तुओं के नाम	प्रपत्र "सी" की धनराशि	कर की दर	कर की धनराशि	अर्थदण्ड की धनराशि
Duplexboard	237178.00	5%	11859.00	17788.00
Gumpowder	53519.00	13.5 %	7225.00	10837.00
Seleting	42977.00	13.5 %	5802.00	8703.00
कोई विवरण प्रपत्र में नहीं दिया है	936816.00	5 %	46841.00	70261.00
		योग	**71727.00**	**107589.00**

इस प्रकार उक्त व्यापारी पर ₹**1,07,589.00** अर्थदण्ड आरोपणीय था। जो विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया था।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा प्रथम प्रकरण में बताया गया कि व्यापारी द्वारा यथाविदित रूप में मोटर व्हीकल्स एवं एसोसिएटिड़ ट्रांसपोर्ट इकयुपमेंट, व्हीकल्स एण्ड पार्ट्स एण्ड एसेसरीज़ देयर ऑफ हेतु पंजीयन प्राप्त किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रांतीय पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध कराई गयी। द्वितीय प्रकरण में व्यापारी द्वारा पंजीयन आवेदन में संशोधन के समय दी गयी जिसमें duplex paper/ board,pesting gum stiching wire आदि वस्तुओं का उल्लेख किया गया है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग उक्त दो प्रकरण से संबन्धित खरीद के अधिकृत होने के साक्ष्य हेतु केन्द्रीय पंजीयन उपलब्ध नहीं करा सका, जिसमें उक्त वस्तुओं का स्पष्ट उल्लेख हो।

अत: अर्थदण्ड का अनारोपण ₹3.89 (2.81+1.08) लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर-1 : मिथ्या दावाकृत आई टी सी का रिवर्स न किया जाने एवं अर्थदण्ड के अनारोपण से राजस्व क्षति ₹ 37.07 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 की उपधारा 1(XI)के अनुसार इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है या किसी मिथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है तो पाँच हजार रूपये या दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो अर्थदण्ड का दायी होगा।

कार्यालय आयुक्त (क.नि.) प्रथम राज्य कररुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया किसर्वश्री अनमिग इण्डस्ट्रीज टिन-05004398490 प्लास्टिक फर्नीचर के निर्माण एवं बिक्री के लिये पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में प्रांतीय ₹ 6668083/-की खरीद की गयी थी। प्रांतीय खरीद पर ₹ 900151/- का आई टी सी क्लेम किया गया था।

पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वाराप्रांतीय खरीद के बिल प्रस्तुत न करने के कारण प्रांतीय खरीद पर क्लेम की गयी आई टी सी ₹900151/- का लाभ विभाग द्वारा नहीं दिया गया था। उपरोक्त नियम के अनुसार मिथ्या क्लेम की गयी आई टी सी ₹9,00,151/- पर तीन गुना ₹ 27,00,453/-अर्थदण्ड नहीं लगाया गया था।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ब्यौहारी द्वारा दावाकृत आई टी सी क्रय बीजकों के अभाव में अनुमन्य नहीं की गयी है। दावाकृत आई टी सी के सापेक्ष क्रय बीजक प्रस्तुत नहीं करने पर धारा-6 के अन्तर्गत केवल आई टी सी अनुमन्य नहीं किया जाना प्रावधानित है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यापारी इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है तो उपरोक्तानुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित था।व्यापारी द्वारा अपने तिमाही विवरणियों के साथ प्रांतीय खरीद के सापेक्ष आई टी सी का दावा किया गया था।

(2) व्यापारी सर्वश्रीअमित इंटरप्राइजेज़ रुद्रपुर टिन न०-05004394998 के द्वारा व्यापारी सर्वश्री रुद्रपुर दिनेश ट्रेडिंग कंपनी रुद्रपुर टिन-05008393532 से दिनांक: 20/04/2013 से 09/10/2014 जो खरीद से सम्बन्धित इनपुटटैक्सकालाभ लिया गया है वह अनुमन्य नहीं था, क्योकि उपरोक्त व्यापारी का पंजीयन नंबर दिनांक: 18/04/2013 को कार्यालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। जिस पर ₹17,559 का इनपुट टैक्स का लाभ लिया गया है जो रिवर्स योग्य था| एवं व्यापारी पर नियमानुसार ₹17559X3= ₹52,677/- का अर्थदंड भी आरोपणीय था।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि व्यौहारी का वाद स्वत: कर योजना के अंतर्गत निस्तारित है, एवं विक्रेता व्यापारी सर्वश्री दिनेश ट्रेडिंग कम्पनी रुद्रपुर वर्ष 2013-14 के चारो आवर्तो हेतु विवरणी प्रस्तुत किए गए थे।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यापारी सर्वश्री दिनेश ट्रेडिंग कम्पनी रुद्रपुर टिन 05008393532 की जांच करने पर वर्तमान दिनांक तक पंजीयन निरस्त पाया गया है। जिसका पंजीयन 18/04/2013 को विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

(3) व्यापारी सर्वश्री आर० के० इलैक्ट्रिक स्टोर टिन न०-05004520613 स्वत: कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के द्वारा दिनांक: 06/2013 से 12/03/2014 तक जो खरीद संबधित सूची के अनुसार व्यापारी द्वारा ₹ 1,63,124/- का इनपुट टैक्स का लाभ लिया गया है वह अपने ही टिन न०-05004520613 से लिया गया है जो रिवर्स योग्य था एवं नियमानुसार ₹1,63,124/-X3 = ₹4,89,372/- का अर्थदंड भी आरोपणीय था|

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया की ब्यौहारी का वाद स्वत: कर योजना के अंतर्गत निस्तारित किया गया था। तदनुसार क्रय किए गए दावों का अभिलेखीय परीक्षण अनपेक्षित था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं दिया गया।

(4) व्यापारी सर्वश्री सुभाष खाद भण्डार, रुद्रपुर कर निर्धारण वर्ष - 2013-14 TIN NO-05004689393 द्वारा संगत वर्ष में प्रांतीय ब्यापारियों से की गई क्रय पर ₹ 6,41,636 का आई. टी. सी. का लाभ दिया गया था। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रश्नगत ब्यापारी के द्वारा प्रस्तुत क्रय सूची में उल्लिखित ब्यापारी देवी दयाल सेल्स लिमिटेड का जो टिन संख्या दिया गया है वह किसी अन्य ब्यापारी M/S Arysta life scienceIndia ltd.का है। ब्यापारी द्वारा, ब्यापारी देवी दयाल से संगत वर्ष में कुल ₹14,25,320 का क्रय किया गया है, के सापेक्ष दी गई आई. टी. सी. ₹71266 रिवर्स योग्य थी एवं इस पर नियमानुसार ₹ 2,13,798 (71,266X3 गुणा) अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि व्यापारी देवी दयाल सेल्स लिमिटेड द्वारा बाद में नाम परिवर्तित कर M/S Arysta life scienceIndia ltd. कर दिया गया है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस संबंध में विभाग द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया।

अत: ₹ 2.51 लाख (₹ 1.63+₹0.169+₹0.71) की आई टी.सी. रिवर्स किया जाना एवं गलत दावाकृत आई टी सी के फलस्वरूप अर्थदण्ड का अनारोपण ₹34.56 लाखका प्रकरण उच्चाधिकारियों / शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-2 मिथ्या प्रमाण पत्र देने के फलस्वरूप कर व अर्थदण्ड का अनारोपण ₹50.03 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अनुसार इस अधिनियम में अन्यत्र दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, और धारा 58 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के अधीन विहित कोई ऐसा मिथ्या या गलत प्रमाणपत्र या घोषणापत्र किसी अन्य व्यक्ति को जारी करे, जिसके कारण ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ या उसके द्वारा किए गए क्रय या विक्रय के संव्यवहार पर इस अधिनियम के अधीन कोई कर आरोपणीय नहीं रह जाता है या रियायती दर पर आरोपणीय हो जाता है तो वह ऐसे संव्यवहार पर ऐसी धनराशि का दायी होगा जो ऐसे संव्यवहार पर देय होती, यदि ऐसा प्रमाणपत्र या घोषणापत्र जारी न किया गया होता। इसी अधिनियम की धारा 58 (1) (XXIX) के अनुसार कोई झूठा या गलत घोषणापत्र या प्रमाणपत्र जारी करता है या देता है जिसके कारण इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बने नियमों या जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत विक्रय या क्रय पर कर न लग सके तो अंतर्ग्रस्त माल की कीमत के 40 प्रतिशत से अनाधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो अर्थदण्ड का दायी होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) प्रथम राज्य कररुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि सर्वश्री हनुमान स्टेंपिंग टिन -05011382684 कर निर्धारण वर्ष 2012-13 ऑटो कम्पोनेंट, मेटल पार्ट्स & कम्पोनेंट के निर्माण व बिक्री के लिए दिनांक 22-10-2011 से पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में ₹ 15216101/- का प्रांतीय खरीद की गयी थी, जिसमें ₹ 15183505/- की 2% प्रपत्र 11 के सापेक्ष खरीद की गयी थी। व्यापारी की गोपनीय पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा मान्यता प्रमाण-पत्र हेतु दिनांक 03-01-2013 को आवेदन किया गया था। व्यापारी को दिया गया मान्यता प्रमाण-पत्र दिनांक 03-01-2013 से प्रभावी है। इस प्रकार व्यापारी द्वारा दिनांक 03-01-2013 से पूर्व की गयी रियायती दर (प्रपत्र 11 के सापेक्ष) से खरीद ₹ 10690923/- अनाधिकृत थी। जो इस प्रकार है:-

वस्तु का नाम	खरीद मूल्य	अंतरीय कर की दर	कर की धनराशि
Towing Hook,AutoParts	412847	11.5%(13.5-2)	47477
Sheet,HRSheet etc. मई 2012 तक	2060113	2.5%(4.5-2)	51503
Sheet,HR Sheet etc. मई 2012 से	8217963	3(5-2)	246539
योग	**10690923**		**345519**

इस अनाधिकृत खरीद ₹ 10690923/- पर माल के मूल्य का 40% ₹ 4276369/- अर्थदण्डआरोपणीय था।

(2) व्यापारी द्वारा दिनांक 03-01-2013 के उपरान्त की गयी खरीद सर्वश्री हनुमान स्टैंपिंग टिन-05011382684 कर निर्धारण वर्षः 2012-13 में ₹4492582/- में निम्न खरीद व्यापारी के मान्यता प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं पायी गयी। जो इस प्रकार है:-

वस्तु का नाम	खरीद मूल्य	अंतरीय कर की दर	कर की धनराशि
Towing Hook,	738878	11.5%(13.5-2)	84971
AutoParts	1010	11.5%(13.5-2)	116
योग	**739888**		**85087**

उक्त अनाधिकृत खरीद ₹**739888/-** पर माल के मूल्य का 40% ₹295955/- अर्थदण्ड आरोपण किया जाना अपेक्षित था।

अत: व्यापारी द्वारा ₹430606/- (345519+85087) कर एवं ₹4572324/- (4276369+295955) अर्थदण्ड जमा कराया जाना अपेक्षित था।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि व्यापारी को ऐसे क्रय के सापेक्ष प्रपत्र-11 जारी नहीं किए गए है। इसलिए अर्थदण्ड की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। द्वतीय बिन्दु के संबंध में बताया गया कि व्यापारी द्वारा मान्यता हेतु आवेदन करते समय व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की सूची में आटोपार्टस स्पष्ट अंकित किया गया है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रपत्र-11 बाद के वर्षो में भी जारी किये जा सकते है एवं विभाग द्वारा दिये गये मान्यता प्रमाण पत्र में व्यापारी का **Raw Material** के अन्तर्गत **M.S.SHEET MEETAL, HCHR, HCCR, MS ROD** अंकित है।

अत: उक्त ₹ 50.03 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-3 :कर का अनारोपण ₹2.30 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार किसी व्योहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गतकर आरोपित किया जाएगा।

कार्यालय अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गयाकिसर्वश्री सर्वश्री शगुन इंटरप्राइजेज़ टिन -05007015550 कटिंग टूल्स की खरीद- बिक्री के लिए पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष 2013-14 में ₹8348158/- की आयातित एवं ₹1941936/- की प्रांतीय खरीद की गयी थी । व्यापारी द्वारा प्रांतीय खरीद के सापेक्ष 97097/- की आई टी सी क्लेम किया गया था। एवं व्यापारी द्वारा ₹9371157/-की बिक्री दर्शायी गयी थी

पत्रावली की जांच में पाया गया की व्यापारी द्वारा बिक्री कम प्रदर्शित की गयी थी जो इस प्रकार है:-

वर्ष	2013-14
प्रारम्भिक शेष	2698360
प्रांतीय खरीद	1941936
आयातित खरीद	8348151
बिक्री	9371157
अंतिम शेष	1915762
कम प्रदर्शित बिक्री	1701528

इस प्रकार व्यापारी द्वारा कम प्रदर्शित बिक्री ₹1701528/- पर 13.5% की दर से कर ₹2,29706/- आरोपणीय था। इस पर 15% की दर से ब्याज भी आरोपणीय है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि व्यापारी द्वारा खरीद-बिक्री की गयी वस्तुओं का मात्रात्मक एवं मूल्यवार प्रदर्शित सारणी की जांच करने के बाद ही मान्यता दी गयी थी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी की बेलेंशशीट में 10% से भी अधिक लाभ प्रदर्शित किया गया था। एवं व्यापारी के व्यापार की वस्तुएँ शीघ्र खराव होने वाली भी नहीं थी। इस प्रकार व्यापारी के व्यापार में हानि का कोई उचित कारण न होने के कारण विभाग द्वारा मान्यता दिया जाना अपेक्षित नहीं था।

अत: कर का अनारोपण ₹2.30 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग2(ब)

प्रस्तर 4-स्वीकृत कर विलम्ब से जमा किये जाने पर अर्थदंड का अनारोपण ₹3.50 लाख|

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58 (1)(Vii) के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर युक्ति युक्त कारण के बिना अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58 (1)(Vii) के दिनांक 31-03-2015 के अधिसूचना 102/XXXVI/2015/22(1) 2015 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर युक्ति युक्त कारण के बिना अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो देय कर का कम से कम 05 प्रतिशत (यदि विलम्ब 1 माह है) एवं 20 प्रतिशत(यदि विलम्ब एक माह से ज्यादा एवं कर की धनराशी 20 हज़ार से ज्यादा है) अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) प्रथम राज्य कर, रुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि संलग्न सूची के अनुसार व्यापारियों द्वारा अपना स्वीकृत कर **₹ 36,77,257**/- बिना किसी युक्ति-युक्त कारण के विलम्ब से जमा किया गया था। जिस पर नियमानुसार कम से कम 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत की दर से ₹3,49,520/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था। जिसे विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि परीक्षणोंपरांत कृत कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा |

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

विलम्ब से जमा कर का विवरण

क्रम सं.	व्यापारीकानाम	धनराशि(₹)	निर्धारित तिथि	जमा करने की तिथि	विलम्ब शुल्क अर्थदण्ड (₹)
1.	सर्व श्री साईं ट्रेडिंग कारपोरेशन रुद्रपुर Tin no-05011913274 टिन -2012-13	17365 (जून) 27760 (अक्टूबर)) 12013 (नवम्बर)) 32040 (जनवरी) 29330 (मार्च)	25-07-12 25-11-12 25-12-12 25-02-13 25-04-13	18-08-12 26-11-12 26-12-12 02-03-13 26-04-13 योग	1736 2776 1201 3204 2933 11,850
2.	सर्व श्री वनराज ट्रेडर्स रुद्रपुर टिन-05012977267 वर्ष - 2013-14	56895 (सितम्बर) 119096 (फ़रवरी)	25-10-13 25-03-14	26-10-13 26-03-14 योग	5690 11910 17600
3.	सर्व श्री यादव इण्टर प्राइजेज टिन -05004702294 वर्ष-2013-14	17371 (अप्रैल)) 26038 (मई) 23775 (नवम्बर) 6000 (नवम्बर) 42450 (फ़रवरी)	25-05-13 25-06-13 25-12-13 25-12-13 25-03-14	31-05-13 27-06-13 30-12-13 30-12-13 29-03-14 योग	1737 2604 2377 600 4245 11563
4.	सर्व श्री एसोसिएट्स ट्रेडिंग कारपोरेशन टिन - 05007411504 वर्ष- 2013-14	63454 (जुलाई) 66675 (नवम्बर)	25-08-13 25-12-13	26-08-13 28-12-13 योग	6345 6667 13012
5	सर्व श्री जी.टी.एम्. इंडस्ट्रीज़ रुद्रपुर टिन- 05006986256 वर्ष- 2013-14	27816 (अप्रैल) 21975 (जुलाई) 36462 (अक्टूबर) 20950 (जनवरी) 15000 (फ़रवरी)	25-05-13 25-08-13 25-11-13 25-02-14 25-03-14	28-05-13 27-08-13 04-12-13 03-03-14 29-03-14 योग	2782 2197 3646 2095 1500 12220

6	सर्व श्री नंजूपैकेजिंग,रुद्रपुर TIN N0. 05011228551 **वर्ष 2013-14**	23445 (अप्रैल) 21390 (मई) 20462 (जून) 21675 (जुलाई) 27217 (अगस्त) 15103 (सितम्बर) 61600 (दिसम्बर)	20/05/2013 20/06/2013 20/07/2013 20/08/2013 20/09/2013 20/10/2013 20/01/2014	12/08/2013 12/08/2013 12/08/2013 23/09/2013 31/10/2013 31/10/2013 05/02/2014 योग	2345 2139 2046 2168 2722 1510 6160 19090
7	सर्व श्री समीर ब्राइटबार,रुद्रपुर TIN N0. 05013171849 **वर्ष 2013-14**	144368+5925(चतुर्थ त्रैमास)	25/02/14 25/03/14 25/04/14	26/04/2014 06/08/14 योग	14437 593 15030
8	सर्व श्री बेबेनंकी इंडस्ट्रीज, रुद्रपुर TIN N0. 05012378583 **वर्ष 2014-15**	40000 (जून) 30000(जून) 58200 (दिसम्बर) 45000 (जनवरी) 50000 (मार्च)	20/07/2014 20/07/2014 20/01/2015 20/02/2015 20/04/2015	22/07/2014 24/07/2014 22/01/2015 21/02/2015 22/04/2015 योग	4000 3000 5820 4500 5000 22320
9	सर्व श्री जी.डीइंटर्नेशनल, रुद्रपुर TIN N0. 05010984014 **वर्ष 2014-15**	8070 (जून) 45000(जून) 25000(जून) 32336 (अक्टूबर)	20/07/201420/07/2 20/07/2014 20/11/2014	20/10/2014 09/10/2014 22/07/2014 21/11/2014 योग	807 4500 2500 3234 11041
10	सर्व श्री दिव्याप्रिय,रुद्रपुर TIN N0. 05012399438 **वर्ष 2014-15**	59628(अप्रैल) 47622 (मई) 54843 (अगस्त) 81720 (अक्टूबर)	20/05/2014 20/06/2014 20/08/2014 20/11/2014	23/05/2014 17/07/2014 10/10/2014 22/12/2014 योग	5963 4762 5484 8172 24381
11	सर्व श्री मित्तल ट्रेडिंग,रुद्रपुर TIN N0. 05010984014 **वर्ष 2015-16**	138720 (जून)	20/07/2015	24/07/2015	6936 (5%)
12	सर्वश्रीगोयलआटोमोबाइल्स Tin- 05004626634 वर्ष –2014-15, 2015-16	125706(मार्च2015) 40670 (प्रथम तिमाही) 255244 (चतुर्थ तिमाही) 25250(चतुर्थ तिमाही)	20-04-15 20-07-15 20-04-16 20-04-16	25-04-15 21-07-15 30-04-16 23-07-16 योग	12571 2034(5%) 12762(5%) 5050(20%) 33417
13	सर्वश्रीअनमिगइण्डस्ट्रीजटिन-05004398490 2013-14	23570 (अप्रैल) 100000 (मई) 100000 (जून) 125668 (अगस्त) 125000 (सितम्बर) 250000 (अक्टूबर) 250000 (नवम्बर) 190537 (दिसम्बर) 195000 (जनवरी)	25-05-13 25-06-13 25-07-13 25-09-13 25-10-13 25-11-13 25-12-13 25-01-13 25-02-13	30-07-13 29-07-13 29-07-13 31-10-13 31-10-13 31-01-14 31-01-14 31-01-14 23-04-14	2357 10000 10000 12567 12500 25000 25000 19054 19500

		150823 (मार्च)	20-04-14	31-05-14	15082
	योग				₹ 151060
	महायोग				₹3,49,520

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-46/2004-05	1	-	-
CT-50/2005-06	1	2	-
CT-17/2006-07	-	1	-
CT-29/2008-09	1,2,3	1,2	-
CT-11/2009-10	1,2	-	-
CT-56/2011-12	1,2	1	-
CT-40/2013-14	-	1,2,3	STAN 1,2
CT-39/2014-15	1	1	-
CT-36/2015-16	-	1,2	STAN 1,2
CT-46/2016-17	-	1,2,3,4	-

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड-I राज्य कर, रूद्रपुर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री भुवन चन्द पाण्डे	सहायक आयुक्त

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड-I राज्य कर, रूद्रपुर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र